

293

284



1

गणेशील वकील  
 साहूदास जी  
 नमो है  
 11-04-12



04AA 001155/12



मो० सुलामी गुड़िया  
 11-4-2012

पुनर्विचार आदेश 1986 के तहत  
 46 I Pro  
 पुनर्विचार अधिनियम 1988 के अन्तर्गत  
 का 1 के तहत

23IA with the permission  
 of L.R.D.C. Simdega. vide case  
 No 157/2011-12 order  
 dt. 23.09.11.

11/4/12

मो० सुलामी गुड़िया  
 पति स्व० मन्दीर रेवडी  
 आदिना - खोडिसा मन्दीर रोड  
 पाना + प्रिया - खोडिसा  
 दाल - 11-4-2012

॥ लेख्यकारिणी :- मो० सुलामी गुड़िया पति स्व० नवल  
 किशोर रक्का, जाति- मुण्डा, पेशा- गृहिणी, निवास  
 ग्राम- सलडेगा मझरटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ।  
 .. .. . बिके तिका ।

शमथ-पत्र संख्या :- 155/2012



--2--

॥2॥ लेख्यधारी:- श्री घुन कच्छप पिता स्व० विरपा कच्छप  
जाति- लोहरा, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- केउन्दीह,  
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शमथ-पत्र संख्या:- 156/2012

॥3॥ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक  
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

॥4॥ मूल्य:- मोबलिंग दो लाख पचपन हजार रुपये अंके 2,55,000/-  
रुपये होता है ।

॥5॥ सम्मति:- खतियानी अन्दर मौजम- सलडेगा डीपाटोली,  
थाना- सिमडेगा, थाना नं० 117, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो  
जिला- सिमडेगा के छाता नं० 32 ॥बत्तीस॥ प्लॉट नं० 775  
॥सात सौ पचहत्तर॥ रकबा 0.26 एकड़ में से 0.12 एकड़  
॥बारह डिसमिल॥ आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार  
का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट पर छोड़ा गया रास्ता कच्चा,

दक्षिण:- टांड इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता,

पूरब :- टांड इसी प्लॉट का अंश फुलमनी गुड़िया,

पश्चिम:- इसी प्लॉट पर छोड़ा गया रास्ता कच्चा 6 फीट चौड़ा  
मालगुजारी 2 पैसा ॥दो पैसा॥ अलावे सेस सलाना ।

श्री० सुलामो गुड़िया  
11-4-2012

जवाह, सब कोटे कच्छप,  
पिता स्व० लालू कच्छप,  
ग्राम- केउन्दीह  
थाना- सिमडेगा  
11/4/2012



--3--

§ 18 § चूँकि मुझ लेख्यकारीणी को बेटी की शादी एवं मकान बनाने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

§ 22 § इसलिये मैंने अपनी इच्छा से जमीन को अपनी स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेची और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी को उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§ 33 § मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि बिक्रीत जमीन लेख्यकारीणी की खतियानी जमीन है जो दादा जोहन मुण्डा के नाम से दर्ज है । जोहन मुण्डा की मृत्यु हो गई । जोहन मुण्डा को एक पुत्र गिदियोन मुण्डा हुआ जिसकी भी मृत्यु हो गई । गिदियोन मुण्डा को सिर्फ पुत्रियाँ हुई । सुगन गुड़िया वो दुलारी गुड़िया वो जोहानी गुड़िया वो फुलमनी गुड़िया और सुलामी गुड़िया लेख्यकारीणी । पिता अपने जीवन काल में ही जमीनों का बँटवारा कर दिया तथा कोई पुत्र नहीं होने के कारण छोटी पुत्री सुलामी गुड़िया लेख्यकारीणी के लिये घर जमाई रखा ।

सुलामी गुड़िया  
11-4-2012



--4--

विक्रीत जमीन लेख्यकारिणी सुलामी गुड़िया को मिला है जिसके नाम से दाखिल खारिज होकर खास नाम से मालगुजारी रसीद कंटता आ रहा है । विक्रीत जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा किसी तरह का झगडा झंझट नहीं है ।

॥४॥ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 157/2011-12 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 23.9.11 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 1017॥॥ दिनांक 23.9.2011 है ।

॥५॥ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

॥६॥ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

श्री सुलामी गुड़िया  
11-4-2012



--5--

मैं लेख्यकारिणी यह घोषणा करती हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

मो. सुलामी गुड़िया

11-4-2012




प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारिणी मो. सुलामी गुड़िया के बाप के हथ के पांचे अंगुलियों का छाप मेरे समत किया गया है।

Sita Rawal Mehta Advocate 11.4.12

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।


Chhagan Kachhola 11/4/12



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी श्री सुरज कछप के बाप के हथ के पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समत किया गया है।

Sita Rawal Mehta Advocate 11.4.12

मो. सुलामी गुड़िया 11-4-2012



उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- *Sate Ram Maito*  
Advocate  
११.५.१२  
प्रारूपकर्ता  
तारीख:-

मो० सुजामा गुड़िया  
११-५-२०१२

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल ६१२ शब्द टंकित हैं जो छण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक  
मो० मकसुद  
११-५-२०१२  
कचहरी परिसर,  
सिमडेगा ।

